



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय  
(मध्यप्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)  
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION  
(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

## परिपत्र

संअसं/2020/

भोपाल, दिनांक 26.03.2020

प्रति,

संचालक,  
समस्त संबद्ध अध्ययन संस्थाएँ

करोना (COVID19) वायरस की रोकथाम के लिए जारी शासकीय निर्देशों के अन्तर्गत विश्व विद्यालय परिसरों एवम् संबद्ध अध्ययन संस्थाओं में आगामी आदेश तक शैक्षणिक कार्य को स्थगित रखा गया है। स्थगन कार्य से छात्रों के शैक्षणिक हित प्रभावित न हो, इस हेतु माननीय कुलपति महोदय के निर्देशानुसार संबद्ध अध्ययन संस्थाओं के संचालकों और शिक्षकों से अनुरोध है कि कृपया स्काइप, जूम, गूगल क्लासरूम आदि आनलाईन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए कक्षाओं का आयोजन किया जाए।

Syllabus के आधार पर पाठ्यक्रम तैयार कर साफ्टकापी में सामग्री उपलब्ध कराई जाए। इस प्रक्रिया से पाठ्यक्रम में प्रगति हो सकेगी तथा समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण हो सकेगा। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस कठिन समय में आप सभी मिलकर ऐसे कदम उठाएंगे, जिनसे छात्रहित प्रभावित न हो। धन्यवाद।

(प्रो. मनीष माहेश्वरी)  
निदेशक  
संबद्ध अध्ययन संस्थाएं



# माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)

MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM AND COMMUNICATION

(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्रमांक 2020 .....

दिनांक 26.3.2020

## आदेश

करोना (COVID-19) वायरस की रोकथाम के लिए जारी शासकीय निर्देशों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय परिसर में आगामी आदेश तक शैक्षणिक कार्य को स्थगित रखा गया है एवं घर बैठ कर कार्य (work from home) के निर्देश दिए गए थे। स्थगन कार्य से विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के शैक्षणिक हित प्रभावित न हो। अतः निम्नानुसार व्यवस्था लागू की जाती है -

1. विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन कार्य को चलाने के माननीय कुलपति महोदय के निर्देशानुसार विभागाध्यक्षों एवं शिक्षक गणों से अनुरोध है कि कृपया स्काइप और जूम जैसे प्लेटफार्म का इस्तेमाल करते हुए कक्षाओं का आयोजन किया जाए।
2. विभागाध्यक्ष गणों से अनुरोध है कि अतिथि शिक्षकों को भी अध्यापन कार्य आवंटित करें, विद्यार्थियों को यथासंभव साफ्ट कापी में सामग्री उपलब्ध कराई जाए और उन्हें मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाए .इस प्रक्रिया से पाठ्यक्रम में प्रगति हो सकेगी
3. इस प्रक्रिया में मार्गदर्शन के लिए प्रो अनुराग शीख से संपर्क किया जा सकता है।
4. इसी प्रकार निदेशक संबद्ध अध्ययन संस्थाओं से भी अनुरोध है कि वह कृपया अध्ययन संस्थाओं को भी इस तरह की गाइडलाइन दें ताकि अध्ययन संस्थाओं में भी वर्चुअल क्लासेस के माध्यम से अध्ययन अध्यापन का कार्य संभव हो सके ।

  
(दीपेंद्र बघेल)  
प्रभारी कुलसचिव

प्रतिलिपि क्रमांक 2000 .....

दिनांक 26.3.2020

1. डीन अकादमिक
2. समस्त विभागाध्यक्ष गण
3. परीक्षा नियंत्रक
4. वित्त अधिकारी
5. निदेशक संबद्ध अध्ययन संस्थाएं।
6. निदेशक प्रवेश एवं प्रशिक्षण।
8. प्रभारी, नोएडा, खंडवा एवं रीवा परिसर।
7. निज सचिव, कुलपति एवं निज सहायक, कुलाधिसचिव।  
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
(दीपेंद्र बघेल )  
प्रभारी कुलसचिव